Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

इन्द्राज बनाम देवीलाल आदि

किस्म मुकदमा 251क राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्याः 68 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
02.09.2020	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से चक 13 एस.टी.बी.(ए) तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 4/ 4 जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के पत्थर नम्बर 34/326 मु.न. 22 के किला नम्बर 2 ता 8 में 1.771 हैक्टेयर नहरी मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रार्थी के उक्त वर्णित रकबा हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी के उक्त रकबा के सबसे समीपस्थ स्वीकृतशुदा रास्ता इसी चक 13 एस.टी.बी.(ए) के पत्थर नम्बर 34/327 मु.न. 30 के किला नम्बर 1 ता 5 में पूर्व से पश्चिम चल रहा हैं। प्रार्थी इसी रास्ता से होकर पत्थर नम्बर 34/326 मु.न. 22 के किला नम्बर 25-16-15 से होकर अपने किला नम्बर 6 में प्रवेश करता हैं। पत्थर नम्बर 34/326 मु.न. 22 के किला नम्बर 15-16-25 में रास्ता स्वीकृत नहीं हैं इसलिए प्रार्थी इन किलो में गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता हैं ताकि प्रार्थी अपने खेत में आ जा सके। चक 13 एस.टी.बी.(ए) के पत्थर नम्बर 34/326 मु.न. 22 का किला नम्बर 15 अप्रार्थी संख्या 3 महावीर पुत्र रामधन के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। इसी प्रकार इसी पत्थर का किला नम्बर 16 अप्रार्थी संख्या 2 रत्तीराम पुत्र रामधन के नाम से खातेदारी दर्ज हैं तथा किला नम्बर 25 अप्रार्थी संख्या 1 देवीलाल पुत्र रामधन के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। इस प्रकार प्रार्थी तहसील सूरतगढ़ चक 13 एस.टी.बी. (ए) के पत्थर नम्बर 34/326 मु.न. 22 के किला नम्बर 15-16-25 प्रत्येक में 2 बिस्वा चौड़ा यानि 0.025 हैक्टेयर प्रत्येक किला में उतर से दक्षिण इन किलो की पूर्वी दिशा में स्वीकृत करवाना चाहता हैं जो स्वीकृत किया जाना आवश्यक हैं चूंकि प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए इस रास्ता के अलावा अन्य कोई भी रास्ता नहीं हैं। अप्रार्थीगण चाहे तो डी.एल.सी. के रेट के हिसाब से रकम प्राप्त कर सकते हैं व रकबा के बदले रकबा लेना चाहे तो प्रार्थी अपने इसी पत्थर नम्बर 34/326 के किला नम्बर 9, 10, 21, 22, 24 में 1.265 हैक्टेयर नहरी भूमि जो प्रार्थी की अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त खाते में दर्ज हैं में से अपने हिस्सा 0.158 हैक्टेयर में से 0.075 हैक्टेयर रकबा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को देने को तैयार हैं। प्रार्थी यह भूमि रास्ता के बदले इसलिए देना चाहता हैं चूंकि यह भूमि किसी भी बैंक या अन्य संस्था में रहन नहीं हैं इसलिए अप्रार्थीगण के पक्ष में आसानी से जरिये इन्तकाल दर्ज हो जायेगी। जिससे दोनो पक्षकारो का आपस में सौहादपूर्ण वातावरण बना रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार तहसील सूरतगढ़ चक 13 एस.टी.बी. (ए) के पत्थर नम्बर 34/326 मु.न. 22 के किला नम्बर 15-16-25 प्रत्येक में 2 बिस्वा चौड़ा यानि 0.025 हैक्टेयर प्रत्येक किला में उतर से दक्षिण इन किलो की पूर्वी दिशा में स्वीकृत किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 बावजूद तामील हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी व प्रस्तुत नक्शा व रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ के अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी की तहसील सू[illegible] चक 13 एस.टी.बी. ए के पत्थर नम्बर 34/326 के किला न[illegible] 2 ता [illegible] की	6002 02/09/2020

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:02:19 IST
Reason: SelfAttested

कुल 1.771 हैक्टेयर नहरी भूमि में पहुचने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नहीं हैं, इस भूमि तक पहुंचने के लिए समीपस्थ स्वीकृतशुदा रास्ता पत्थर नम्बर 34/327 के किला नम्बर 1 ता 5 में 25 फुट चौड़ा रास्ता दर्ज है। इस स्वीकृतशुदा रास्ता से प्रार्थी पत्थर नम्बर 34/326 के किला नम्बर 15–16–25 की पूर्व दिशा में से अपनी भूमि मे प्रवेश करता है। अप्रार्थीगण द्वारा हाजिर अदालत आकर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रार्थी के रकबा को अन्य रास्ता उपलब्ध होना साबित होता हो। प्रार्थी रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने के लिए सहमत है। प्रार्थी को रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता है। काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो अनुसार एक काश्तकार को अपनी भूमि मे जाने के लिए रास्ता की सुविधा का कानूनी अधिकार हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। चाहे गये रास्ता के लिए भूमि पत्थर नम्बर 34/326 का किला नम्बर 15 अप्रार्थी संख्या 3 महावीर, किला नम्बर 16 अप्रार्थी संख्या 2 रत्तीराम व किला नम्बर 25 अप्रार्थी संख्या 1 देवीलाल के नाम से खातेदारी हैं। इसलिए रास्ता की भूमि के बदले में भूमि प्रार्थी के खातेदारी रकबा में से देने पर रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 13 एस.टी.बी.(ए) के पत्थर नम्बर 34/326 मु.न. 22 के किला नम्बर 15–16–25 प्रत्येक में 2 बिस्वा चौड़ा यानि **0.025 हैक्टेयर प्रत्येक किला में उतर से दक्षिण (पूर्वी दिशा में) स्वीकृत कर भूमि गैरमुमकिन रास्ता** के रूप मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज होने वाली कुल 0.075 हैक्टेयर भूमि के बदले में प्रार्थी की भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 13 एस.टी.बी. (ए) में संयुक्त खाता संख्या 22/23 जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के पत्थर नम्बर 34/326 मु.न. 22 के किला नम्बर 9, 10, 21, 22, 24 की 1.265 हैक्टेयर में से प्रार्थी इन्द्राज पुत्र रामधन जाति जाट निवासी पालीवाला के नाम से दर्ज हिस्सा 0.158 हैक्टेयर में से **0.025** हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 देवीलाल पुत्र रामधन जाति जाट निवासी पालीवाला, **0.025** हैक्टेयर रत्तीराम पुत्र रामधन जाति जाट निवासी पालीवाला तथा **0.025** हैक्टेयर महावीर पुत्र रामधन जाति जाट निवासी पालीवाला के नाम से खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरतगढ़ आदेश अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.09.2020 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:02:19 IST
Reason: SelfAttested